प्रेस नोट **30/06/2024**

03 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी के प्रिंटर, डीवीआर, मार्कशीट, 8000 रुपये व अवैध तमन्चा तथा कारतूस बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 30.06.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अमिला थानीदास मार्ग पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण राकेश मल्लाह उर्फ गुड्डू मल्लाह पुत्र रामचरन मल्लाह निवासी राहुल नगर मठिया थाना कोतवाली, संजय यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी एकरामपुर थाना सिधारी, शुभम तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी निवासी चकगुरिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कब्जे से चोरी की एक अदद प्रिंटर, एक अदद डीवीआर, एक अदद मार्कशीट, 8000 रुपये व एक अदद नाजायज तमन्चा तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/24 धारा 457 ,380 भादवि से संबंधित पाये गये। उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा मु0अ0सं0 279/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. राकेश मल्लाह उर्फ गुड्डू मल्लाह पुत्र रामचरन मल्लाह निवासी राहुल नगर मठिया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. संजय यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी एकरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
3. शुभम तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी निवासी चकगुरिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. एक अदद प्रिंटर, एक अदद डीवीआर, एक अदद मार्कशीट।
2. 8000 रुपये।
3. एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

घोसी पुलिसः- उ0नि0 जयप्रकाश, का0 अंकित, का0 विशाल, का0 मोहन।

एसओजी/स्वाट टीमः- प्रभारी उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, हे0का0 सुशील कुमार यादव, हे0का0 नीरज शर्मा, का0 अनुदेश दत्त बनौधा, का0 आदर्श मिश्रा।

सर्विलांस टीमः- हे0का0 विवेक सिंह, का0 बृजेश मौर्या।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.06.2024 को पुलिस लाइन सम्मेलन कक्ष में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा क्षेत्राधिकारी लाइन श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल

प्रभारी नि0 श्री घनश्याम यादव, जनपद के सभी न्यायालय पैरोकार, समस्त कोर्ट मोहर्रिर के साथ मीटिंग की गयी। जिसमें पीडित को न्याय व अपराधियो को सजा दिलाने के लिए समस्त न्यायालय पैरोकारो को दिशा निर्देश दिया गया कि साक्षियों को समय से न्यायालय प्रस्तूत कराये जिससे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलायी जा सके। तथा न्यायालय कार्यों को संपादित करनें में आनें वाली समस्याओं को जाना तथा सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।